कैथोलिक डायोसिस सोसायटी Vs सरकार राज. 5

व हुक्म प्रकरण 74/03 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

/2017-

◀ निर्णय ▶

—पत्रावली चिन्हित होने से लोक अदालत केम्प में तलब की गयी पक्षकारान उपस्थित/अनु. वादी द्वारा वाद—पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आसीन्द में संस्था एक संतपॉल स्कूल को संचालित कर रही है जिसमें आम जनता का हितबद्व है, दिनांक 20.01.1993 को जरिये बिकाव से वादी संस्था ने खाता संख्या 381 मौजा आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द में आराजी नम्बंर 2511/753 रकवा 01 बीघा 10 बिस्वा, 2522/753 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा किता—2 रकवा 03 बीघा 12 बिस्वा 80000/—रू. खरीद कर उक्त रकबा दिनांक 27.02.93 को जरिये इन्तकाल नम्बंर 2266 से पुरा खाता संस्था के नाम दर्ज कर दिया गया वक्त खरीद से लगातार वादी संस्था का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग ने बिना कोई अधिकार के वादी के रकबे को रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है। वादी को 03 बीघा 12 बिस्वा पूर्व रकबे के मुकाबले हाल चालू रेकार्ड में 0.79 हैO भूमि का खातेदार होना चाहिये लेकिन खाता संख्या 1156 आराजी नम्बंर 3875, 3877, 3881 किता—3 रकबा 0.52 हैO भूमि का ही खोतदार ज्योति स्कूल आसीन्द को खातेदार बनाया गया इस प्रकार 0.27 हैO भूमि कमी रकवे की पुर्ति आराजी नम्बंर 3874 वादी के नाम खातेदारी घोषित किया जावे। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की आदेशात्मक एंव घोषणात्मक डिकी प्रदान की जावे की उपरोक्त आराजी नम्बंर 3874 रकबा 0.25 जो पुराने नक्शे व नये नक्शे से मिलान करने से एक ही प्लोट है लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने मिलान क्षैत्रफल में आराजी नम्बंर पुराना 752 मी. का 3874 नम्बंर नया बनाया है जो दुरस्त होकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार आसीन्द ने वादपत्र में अंकित कथनो को अस्वीकार करते हुए कथन किया की वादी को दोराने सेटलमेन्ट उजर करनी चाहिये थी जो नही की गयी तथा दावे में वर्णित भूमि 03 बीघा 12 बिस्वा केथोलिक डासोसीस सोसायटी उदयपुर शाखा आसीन्द ने जीवन ज्योति प्राथमिक विधालय ओर समाज कल्याण केन्द्र के नाम समर्पित कर दी थी यह सर्मपण 03.06.93 को तहसीलदार आसीन्द द्वारा स्वीकर किया गया था तब से यह भूमि बिलानाम दर्ज की गई थी किसी भूलवश ऐसा नही हुआ है। वादी आराजी नम्बंर 3874 बेश कीमती भूमि जो सेटलमेन्ट से पूर्व रास्ते की अर्थात सार्वजनिक

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

सहायक कलक्टर, आसीन्द (भीलवाड़ा) लोक अदालत-2017

Scanned by CamScanner

प्रयोजनार्थ की भूमि थी ओर वादी को गै.मु. रास्ते की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते इसमें तहसीलदार की ओर से विशेष आपत्ति है। तद्पश्चात दौराने केम्प पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा तनकी का पूर्ण विमोचन किया गया साक्ष्य बयानो का अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन मनन किया गया जिससे जाहिर आया की उपरोक्त आराजी विधालय की थी किन्तु समपर्ण भी उसी संस्था के द्वारा ही किया गया तथा समर्पण के बाद आराजी को रास्ते ऐतु प्रयोजनार्थ की गयी किन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया गया जिससे ज्ञात होता हो की रास्ते की उक्त आराजी पूर्व में सरंथा के नाम थी। तथा वादी द्वारा भी प्रकरण में ठोस दस्तावेजात पेश नही किये जिससे जाहिर होता हो की आराजी रास्ता हेतु कब ओर किसके द्वारा की गयी। रास्ता हेतु आरक्षित भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र अस्वीकार पाया जाने से लिहाजा वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

:: आदेश ::

दावा वादी खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को केम्प आसीन्द मे लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

(बलवन्तसिंह सिंगी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

सहायक कलेक्टर, आसीन्द (भीलवाडा) लोक अदालत-2017

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द बईजलास बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

लोक अदालत "न्याय आपके द्वार केम्प–आसीन्द

प्रकरण संख्या–74 / 2003

अनवान

1–केथौलिक डायोकमसन सोसायटी आप उदयपुर आसीन्द मैनेजर फादर अनिमा नन्द किशनपुरा आसीन्द संस्था जरिये फादर पंकज हाल।

–वादी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला–भीलवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136, 116, 111 भू राजस्व अधिनियम एंव 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 151 जा0दी0 के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री मुनीरगनी शेख एंव प्रतिवादीण की और से एड.–की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 14.07.2017 को लोक अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है, और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

–::दावा वादी का वाद खारीज किया जाता है::–

इसके वाद के खर्चे लेखे-xxx-रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर-xxx-प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित-xxx-द्वारा-xxx-को दी जावे।

यह डिक्री पर्चा आज दिनांक 14.07.2017 को मेरें हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	04	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	–	–
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	03	–	प्लीडर की फीस	–	–
4.रूपये पर लीडर की फीस	–	–	साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5.साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	01	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	09	–	योग	–	–

Scanned by CamScanner